

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)
(सम्बन्धित प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या)

क्र०सं०	प्रस्ताव	
7	परियोजना/स्कीम का स्थान	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जनपद— मीरजापुर में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या—07 (वाराणसी— हनुमना सेक्शन) किमी० संख्या 49.500 से किमी० संख्या 140.200 तक के सुदृढीकरण, चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे० आरक्षित एवं 113.6300 हे० संरक्षित कुल 131.0175 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	मीरजापुर
(iii)	वन प्रभाग	मीरजापुर वन प्रभाग
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	1— 17.3875 हे० (आरक्षित वन भूमि) 2— 113.6300 हे० (संरक्षित वन भूमि)
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि (स्वामित्व वन विभाग) एवं संरक्षित वन भूमि (लो०नि०वि०)
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 (इको क्लास—iii, खुला वन)
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर० एल०, एफ०आर०एल०—2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०—4 मीटर भी संलग्न किया जाय।	संलग्न है।
(viii)	भू-क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता	यह भू-भाग भू-क्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन सीमा के भीतर
(x)	क्या फार्म, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाय)	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं।

8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ?	प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम हैं।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	अधिनियम के उल्लंघन में प्रस्तावक विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवनत वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 7-28/2014-ROHQ दिनांक 15.09.2014 के अनुसार परियोजना से प्रभावित 17.3875 हे० आरक्षित एवं 113.6300 संरक्षित कुल 131.0175 हे० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसके बदले 131.0175×2=262.035 अथवा 263.00 हे० अवनत वन भूमि पर छतिपूरक वनीकरण हेतु निम्न प्रकार अवनत वन भूमि चिन्हित है। 1-मड़िहान रेंज अन्तर्गत दाढीराम बीट के क०न० 1 अ में 20.00 हे०, 2-मड़िहान रेंज अन्तर्गत सरसो बीट के सरसो क०न० 3 में 20.00हे०। 3-झमण्डगंज रेंज अन्तर्गत बंजारी पूर्वी बीट के बंजारी क०न०-9 में 55.00हे०। 4-लालगंज रेंज अन्तर्गत विजयपुर बीट के विजयपुर क०न०-03 दादर कला में 40.00 हे०, 5-लालगंज रेंज अन्तर्गत करनपुर बीट अन्तर्गत करनपुर क०न०-4 में 20.00 हे०। 6-लालगंज रेंज जैकर बीट, डांगर खेरी क०न० 01, 50.92 हे०। 7-लालगंज रेंज, विजयपुर बीट, क०न० 03, 40.11 हे०। 8-विण्ढमफाल रेंज अन्तर्गत पड़री-।। बीट अन्तर्गत मच्छरमारा क०न०-3 में 20.00 हे०। 9-विण्ढमफाल रेंज अन्तर्गत दांती-।।। बीट अन्तर्गत दांती क०न०-6 में 20.00 हे०।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमिक वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं का दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	रोपित की जाने वाली मुख्य प्रजातियां-इमली, नीम, आम, जामुन, केसिया सेमिया, कठसागौन, बहेडा, आँवला, कंजी, चिलबिल, शीशम आदि।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	रु० 3,81,27,266.00

(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 के पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	452200.00 हैं0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	104405.00 हैं0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र प्रभाग	45 मामले, 348.1684 हैं0
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	366.300 हैं0
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि ।	176.254 हैं0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर ।	190.046 हैं0
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	366.300 हैं0
	(क) वन भूमि पर	176.254 हैं0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	190.046 हैं0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव में उल्लिखित भूमि की मांग न्यूनतम है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के सुदृढीकरण, चौड़ीकरण से वन एवं वन्य जीवों के सम्वर्धन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 28.05.2018
स्थान : मीरजापुर

हस्ताक्षर : प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
& मीरजापुर

नाम :

सरकारी मोहर : वन क्षेत्राधिकारी
विपद काल ६७

क्षेत्रीय वन अधिकारी
हमण्डगंज रेंज
मीरजापुर वन प्रभाग

क्षेत्रीय वनाधिकारी
लालगंज रेंज
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मीरजापुर रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर उप वन प्रभाग
मीरजापुर